

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 1/2023

दिनांक: 31 मार्च, 2023

समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 को अधिसूचित करती है। यह विदेश व्यापार नीति दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी।

इस अधिसूचना का प्रभाव: विदेश व्यापार नीति, 2023 को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
31.3.2023
(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

[फा. सं. 01/75/171/00016/एएम-23/एफटीपी प्रकोष्ठ से जारी]